


11/6/24

पयावली आवलोकन किया। 22/2/2019 काय
जारी लगान रूढ़ शर्त के साथ जारी किया
गया कि 039R3 CPC के अन्तर्गत रूढ़ि
रूढ़िडे पेश है। पयावली में आद डिगोंक
एक रूढ़ि-रूढ़िडे पेश नहीं। इसलिए
पयावली में जारी लगान को अनवत किया
जाना उचित नहीं है। आदेश 22/2/19
विरुद्ध किया जाकर पयावली का विषय
कपल की जाती है।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़